BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 500/2025

IN THE MATTER OF:
AASMA

...APPLICANT(s)

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS.

...RESPONDENT(s)

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	RESPONSE BY RESPONDENT NO. 3 DISTRICT MAGISTRATE, GHAZIABAD IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 09.102025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI	
2.	A COPY OF THE SDM ORDER DATED 14.02.2025 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS **ANNEXURE-1**	
3.	A COPY OF THE REVENUE RECORDS ARE ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS **ANNEXURE-2**	
4.	A COPY OF THE LETTER DATED 28.03.2026 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS **ANNEXURE-3**	
5.	A COPY OF THE INSPECTION REPORT DATED	

	30.03.2026 ALONG WITH PHOTOGRAPHS IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS **ANNEXURE-4**	

THROUGH COUNSEL

BHANWAR PAL SINGH JADON
COUNSEL FOR R-3 D.M. GHAZIABAD
bhanwar09jadon@gmail.com | 6375115224

DATE: 07/04/2026
PLACE: NOIDA

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 500/2025

IN THE MATTER OF:

AASMA

...APPLICANT(s)

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS.

...RESPONDENT(s)

RESPONSE BY RESPONDENT NO. 3 DISTRICT MAGISTRATE, GHAZIABAD IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 09.102025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

I, Ravindra Kumar Mandar, aged about 36 years, S/o Sh. Chandan Lal Meena, posted as District Magistrate, Ghaziabad, do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That I, the Deponent, am fully conversant with the facts of the case and I am competent and authorized to swear the present Affidavit.

NOTARY Sandeep Sharma Reg. No.1186/98 GOVT. OF INDIA

07 APR 2026

BACKGROUND OF THE MATTER

2. That in the present Original Application, objection of the applicant is as against the dumping of solid waste on the agricultural field in Village Dabarsi, Ghaziabad, Uttar Pradesh. Learned Counsel for the applicant has submitted that respondent no.6 has been granted Consent To Establish (CTE) dated 05.04.2025 for setting up of Common Municipal Solid Waste Facility (CMSWF) but said CTE (page 40, annexure A-4) does not give the details of site along with the geo-coordinates.

3. That furthermore, it is alleged that the project proponent has converted the area into full-fledged landfill site and is dumping the solid waste in that area without obtaining necessary clearances.

4. That the Hon'ble Tribunal vide order dated 09.10.2025 has directed the respondents to file their reply. The operative part of the aforementioned order is stated below:

> *"...6. Issue notice to respondents for filing their reply by way of affidavit atleast one week before the next date of hearing..."*

STEPS TAKEN FOR THE ESTABLISHMENT OF THE MSW PROCESSING PLANT

5. That under question MSW processing plant is located at Khasra no. 181, village Muhiddinpur, Dabarasi, Ghaziabad (U.P), having total area of 1,787 hectares. The Geo Co-ordinate of the MSW site is latitude 28.723948 and longitude 77.583072.

6. That prior to setting up of the MSW processing plant at the site in question, an application was submitted by Zakir, Sakir and Jahid Khan, sons of Salimuddin, residents of Village Mahiuddinpur Dhabarsi, Pargana Dasna, Tehsil and District Ghaziabad, under Section 80(1) of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006. In the said application, a prayer has been made for declaration of land bearing Khata No. 648, Khasra No. 181, admeasuring 1.7870 hectares, situated in Village Mahiuddinpur Dhabarsi, Tehsil and District Ghaziabad, **as non-agricultural land**. In support of the application, copies of Khatauni for Fasli year 1359 and Khatauni for Fasli years 1427 to 1432 have been filed.

7. That subsequently a detailed inquiry was conducted by the concerned Lekhpal and a report dated 04.02.2025 was submitted before the Tehsildar.

8. That accordingly, in view of the report submitted by Tehsildar and the submissions made by the Applicants, the land bearing Khata No. 648, Khasra No. 181, admeasuring 1.7870 hectares, situated in Village Mahiuddinpur Dhabarsi, Pargana Dasna, Tehsil and District Ghaziabad, owned and possessed by the applicants as transferable bhumidhars, and surrounded by residential activities, has been declared **non-agricultural** under Section 80(2) of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006, subject to compliance with all applicable provisions of the Code, Rules, Government Orders, and planning regulations by the SDM, Ghaziabad vide order dated 14.02.2025.

   A copy of the SDM order dated 14.02.2025 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-1.**

   A copy of the revenue records are annexed herewith and marked as **ANNEXURE-2.**

ACTION ATKEN IN COMPLIANCE OF THE DIRECTIONS ISSUED BY THE HON'BLE TIRBUNAL

9. That the Deponent vide letter dated 28.03.2026 has directed the UPPCB to carry out the site inspection in compliance of the orders of this Hon'ble Tribunal, and submit the said report to the Deponent at the earliest.

A copy of the letter dated 28.03.2026 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-3.**

10. That in compliance with the directions issued by the Deponent, the UPPCB has carried out the site inspection dated 30.03.2026 and have submitted the said report to the deponent.

A copy of the inspection report dated 30.03.2026 along with photographs is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-4.**

11. That, as per the report, it is submitted that the Municipal Solid Waste (MSW) processing plant is being operated with all requisite statutory permissions; however, the existing treatment capacity of the said plant is inadequate, resulting in a shortfall/gap in the processing of solid waste at the site. Consequently, an estimated quantity of

approximately 1,00,000 MT of MSW has accumulated and remains unprocessed at the site.

12. Hence, the present affidavit is being filed for the kind consideration and perusal of this Hon'ble Tribunal.

13. I state that everything stated above has been stated by me in my official capacity on and derived from the official records and I state that nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at GHAZIABAD on this 07th day of APRIL, 2026, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 13 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

NOTARY Sandeep Sharma Reg. No. 1186/98 GOVT. OF INDIA

ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1186/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

07 APR 2026

Scanned with OKEN Scanner

नकल नं० 525

नजराना शाहद-छ्यापति

न्यायालय- उपजिलाधिकारी

जनपद - गाजियाबाद, तहसील - गाजियाबाद

कंप्यूटरीकृत संख्या :- T802025010113

आवेदक का नाम :- JAKIR SAKIR AND OTHERS

अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश तिथि:- 14/02/2025

आदेश

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। प्रस्तुत वाद की कार्यवाही जाकिर, साकिर व जाहिद खान पुत्रगण सलीमुद्दीन निवासी ग्राम महीउद्दीनपुर ढबारसी परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 80(1) के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये है के आधार पर प्रारम्भ हुई। प्रार्थना पत्र में ग्राम महीउद्दीनपुर ढबारसी तहसील व जिला गाजियाबाद के खाता संख्या 648 खसरा संख्या 181 रकबा 1.7870 है0 को अकृषिक घोषित किये जाने की याचना की गयी है प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल खतौनी 1359 एवं नकल खतौनी साल 1427 ता 1432 फसली, की नकल, की नकल दाखिल की गयी है।

संक्षेप में वादी के कथनानुसार वाद के तथ्य इस प्रकार है जिसको वादी ग्राम ग्राम महीउद्दीनपुर ढबारसी परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद के खाता संख्या 648 खसरा संख्या 181 रकबा 1.7870 है0 के वादी संक्रमणीय भूमिधर है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 80 अकृषिक घोषित किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

वाद पोर्टल पर दर्ज कर वादिनी का प्रार्थना पत्र उत्तर-प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 85(3) उप नियम(1) में दिये गये प्राविधानुसार वर्णित भूमि की अभिलेखीय एवं स्थलीय जॉच हेतु तहसीलदार गाजियाबाद को भेजा गया। वर्णित भूमि की गहनतापूर्वक जॉच क्षेत्रीय लेखपाल श्री सतनदेव द्वारा करके तहसीलदार गाजियाबाद के समक्ष दिनांक 04.02.2025 को प्रस्तुत की गयी। आख्या का परीक्षण तहसीलदार गाजियाबाद द्वारा करके उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2006 की धारा 80(1) के अन्तर्गत नियम 85(1) के निर्धारित प्रारूप आर0 सी0 प्रपत्र 25(क) पर जॉच आख्या दिनांक 04.02.2025 में उद्धरित किया है कि वादी वाद वर्णित भूमि के अनुसार नकल खतौनी व शपथ पत्र संक्रमणीय भूमिधर मालिक है। राजस्व अभिलेखों के अनुसार वाद वर्णित भूमि विषयक कोई वाद मा0 राजस्व न्यायालय में लम्बित नहीं है। वादी पक्ष की वाद वर्णित भूमि राजस्व अभिलेखों के परीक्षण के अनुसार किसी योजना से आच्छादित नहीं है। आकार पत्र 41 व 45 के अनुसार वादी की प्रश्नगत भूमि खसरा संख्या 181 रकबा 1.7870 हे0 ग्राम समाज अथवा सार्वजनिक उपयोग की भूमि नहीं है बल्कि संक्रमणीय भूमि है। राजस्व अभिलेखों के अनुसार प्रश्नगत भूमि खसरा संख्या 181 संक्रमणीय भूमिधरी अधिकार वर्ग की भूमि है। प्रश्नगत वाद वर्णित भूमि में राजस्व अभिलेखों के अनुसार कोई नाली अथवा चकमार्ग की भूमि नहीं है। जोत चकबन्दी आकार पत्र 41 व 45 एवं 1359 फसली के अनुसार प्रश्नगत भूमि संक्रमणीय अधिकार की भूमि है जिसमें वादीगण अनुसार माल कागजात मालिक/स्वामी है। वर्णित भूमि की नियमानुसार शुल्क उदघोषणा एक प्रतिशत मूल्यांकन के अनुसार अंकन 4,48,179 रू0/- जमा कराते हुए उक्त भूमि को गैर कृषिक भूमि घोषित किये जाने हेतु आख्या प्रेषित की गयी है।

वादी वर्णित भूमि ग्राम महिउद्दीनपुर ढबारसी परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद के खाता संख्या 648 खसरा संख्या 181 रकबा 1.7870 है0 को अकृषिक घोषित कराना चाहता है। राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 85(2) के अनुसार वादीगण उदघोषणा शूल्क की आवश्यक रकम जमा करायेगा।

'उक्त भूमि को व्यवसायिक प्रयोजन के लिये अकृषिक घोषित किये जाने हेतु संस्तुति सहित आख्या प्रेषित की गयी है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के नियम 85(2) में दिये गये प्राविधानों के अनुसार वर्णित भूमि ग्राम महिउद्दीनपुर ढबारसी परगाना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद की सरकारी दर जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सरकारी दर से मालियत एक प्रतिशत अंकन 4,48,179 रू0/- होता है, तहसीलदार गाजियाबाद राजस्व संहिता 2006 की धारा 80(1) के अन्तर्गत नियम 85(1) के निर्धारित प्रारूप आर0 सी0 प्रपत्र 25 में कहा है कि वर्णित भूमि को धारा 80 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये जाने हेतु संस्तुति सहित आख्या प्रेषित की गयी है।

राजस्व अभिलेखो से पुष्टि करते हुए स्थानीय एवं स्थलीय जांच कर निर्धारित प्रारूप-25(क) तहसीलदार गाजियाबाद

कार्यालय से प्राप्त होने पर निर्धारित प्रारूप 25 (ख) का नोटिस आवेदक को दिया गया।

आवास एवं सचिव राजस्व परिषद ,उ0प्र0 अनुभाग-5 लखनऊ संख्या आर-5/10ए /2015 /2781 दिनांक 30 अक्टूबर 2017 धारा 80 के अन्तर्गत संशोधन कर दिये जाने के उपरान्त पत्र संख्या 1239/वाचक/एस0डी0ओ0/गा0बाद, दिनांक 06.12.2024, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद एवं नगर निगम गाजियाबाद को अपना पक्ष रखने हेतु भेजा गया, परन्तु गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की ओर से कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। जहां संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर अपनी जोत या उसके भाग का औद्योगिक वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करता है, वहाँ उपजिलाधिकारी स्वप्रेरणा से या ऐसे भूमिधर द्वारा आवेदन किये जाने पर, यथा विहित जांच करने के पश्चात या तो यह घोषणा कर सकता है कि वह भूमि कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जा रही है या प्रार्थना पत्र को नामंजूर कर सकता है। उप जिलाधिकारी ऐसी घोषणा या नामंजूरी के कारणो का उल्लेख लिखित रूप में करेगा और प्रार्थना पत्र की पैतालीस कार्य दिवसो के अन्दर अपने विनिश्चय की सूचना आवेदक को देगा। इस भूमि पर कोई भी निर्माण/विकास कार्य प्राधिकरण की महायोजना के संगत नियम/विनिमय/प्राविधान के अनुसार तथा महायोजना में निर्दिष्ट भू उपयोग के अनुसार गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत कराये जाने के उपरान्त किया जा सकता है।

वादी द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहित नियमावली 2016 के नियम 85(2)में दिये गये प्राविधान कृषि प्रयोजन हेतु निर्धारित सर्किल रेट शुल्क आगणित धनराशि का एक प्रतिशतं अंकन 4,48,179 रूपये अंकन चार लाख अडतालिस हजार एक सौ उन्यासी बैंक रिफरेन्स संख्या रू ब्व्।म्र्।स्ज्थ्3 चालान सँख्यारू त्।श्र250013162 को दिनांक 06.02.2025 को जमा कराकर चालान की मूल प्रति पत्रावली पर दाखिल की गयी है।

मैने वादी के सुबुद् अधिवक्ता एवं नामिका वकील (राजस्व) द्वारा विद्वतापूर्ण प्रस्तुत तर्कों का अनुश्रवण किया तथा पत्रावली का गहनता पूर्वक परिशीलन किया। वादी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रपत्र 25 में वर्णित भूमि में स्थित महीउद्दीनपुर ढबारसी परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद के खाता संख्या 648 खसरा संख्या 181 रकबा 1.7870 है0 जिसके आस-पास आवासीय गतिविधियाँ प्रचलित है। भूमि पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है। तहसीलदार गाजियाबाद द्वारा प्रारूप प्रत्र 25 में वर्णित भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने पर बल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से नामिका अधिवक्ता राजस्व द्वारा अपने तर्को में कहा गया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (संशोधित) अध्यादेश 2015 की धारा 80 के अन्तर्गत औधोगिक या आवासीय प्रयोजन के जोत का उपयोग (1) के द्वितीय पैरा में स्पष्ट वर्णित है कि जोत या उसका भाग चार दीवारी से घिरा है या मौके पर परती है, की घोषणा नही की जायेंगी।

प्रस्तुत तर्कों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का परिशीलन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि तहसीलदार गाजियाबाद ने प्रपत्र 25 में वर्णित भूमि महिउद्दीनपुर ढबारसी परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद के खाता संख्या 648 खसरा संख्या 181 रकबा 1.7870 है0 के संक्रमणीय भूमिधर भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने हेतु संस्तुति संहित आख्या प्रेषित किया है। वादी मौके पर काबिज होने तथा प्रश्नगत भूमि का प्रयोग अकृषिक रूप में किया जाने की आख्या तहसीलदार गाजियाबाद द्वारा की गयी है। प्रश्नगत भूमि का प्रयोग कृषि भूमि के रूप मे नहीं हो रहा है। तहसीलदार गाजियाबाद द्वारा वर्णित भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने हेतु संस्तुति संहित प्रेषित की गयी है।

अतः उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि संदर्भित भूमि को इस प्रतिबन्ध के साथ कि यदि प्रश्नगत भूमि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति की भूमि है एवं अनुमति से बचने के लिए भूमि का क्रय विक्रय किया जाता है। यदि प्रश्नगत भूमि राजस्व संहिता 2006 की धारा 77 से ग्रसित है। यदि प्रश्नगत भूमि प्राधिकरण क्षेत्र में है एवं अधिग्रहण के अन्तर्गत आती है। यदि प्रश्नगत भूमि पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बगैर निर्माण किया हो या महायोजना में प्रस्तावित उपयोगो के विरूद्व हो या यदि प्रश्नगत भूमि उद्घोषणा से लोक उपाय, लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ सुरक्षा या सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव पडता हो या यदि प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में कोई वाद किसी न्यायालय में विचाराधीन हो ओर तथ्यो का छिपाया गया हो उक्त किसी नियम के भंग होने की स्थिति में यह घोषणा व्यपगत हो जायेगी तथा घोषणा स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 नियमावली 2016 में दिये गये प्राविधानो एवं शासनादेशों के अनुपालन एवं स्टाम्प के अपवंचन से राजस्व की क्षति को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 संशोधन अध्यादेश की धारा 80 (2) में दिये गये प्राविधान अनुरूप प्रख्यापन किया जाना अभीष्ट एवं न्यायोचित है।

आदेश

उपर्युक्त विवेवचना के आधार पर स्थित महीउद्दीनपुर ढबारसी परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद के खाता संख्या 648 खसरा संख्या 181 रकबा 1.7870 है0 भूमि जिसके वादी संक्रमणीय भूमिधर मालिक काबिज व वर्णित भूमि के आस-पास आवासीय गतिविधियाँ प्रचलित है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 उप धारा (3) के अन्तर्गत प्रभारी कलेक्टर विहित रीति में घोषणा के प्रयोजन के लिए सीमांकन मौके पर कब्जे के अनुसार वर्णित भूमि को तहसीलदार गाजियाबाद की आख्यानुसार उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 नियमावली 2016 में दिये गये प्राविधान एवं शासनादेशों के क्रम में स्टाम्प अपवंचना रोकने के उद्देश्य से आवासीय भूमि उद्घोषित किया जाना समीचीन है। वादी द्वारा यदि कोई अतिक्रमण करने के उपरान्त कोई तथ्य न्यायालय से छिपाकर वाद योजित किया गया है तो आदेश स्वतः शून्य माना जायेगा। यह भी उल्लेखनीय है कि यदि प्रश्नगत भूमि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति की भूमि है एवं अनुमति से बचने के लिए भूमि का क्रय विक्रय किये जाने हेतु प्रख्यापन कराया जा रहा है या प्रश्नगत भूमि राजस्व संहिता 2006 की धारा 77 से ग्रसित है। या प्रश्नगत भूमि प्राधिकरण क्षेत्र में है एवं अधिग्रहण के अन्तर्गत आती है और प्रश्नगत भूमि पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बगैर निर्माण किया हो या महायोजना में प्रस्तावित उपयोगो के विरूद्ध हो। प्रश्नगत भूमि की उद्घोषणा से लोक उपाय, लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ सुरक्षा या सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव पडता हो। या प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में कोई वाद किसी न्यायालय में विचाराधीन हो और तथ्यों को छिपाया गया हो तो उक्त में से किसी नियम के भंग होने की स्थिति में यह घोषणा व्यपगत हो जायेगी तथा घोषणा स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 के प्राविधान एवं हरित पटटी के सम्बन्ध में निर्देश पूर्व की भाति यथावत लागू रहेगे। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 80 (2) में दिये गये प्राविधानुसार महिउद्दीपुर ढबारसी परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद के खाता संख्या 648 खसरा संख्या 181 रकबा 1.7870 है0 गैरकृषिक/अकृषक घोषित किया जाता है। यदि प्रश्नगत भूमि के मध्य उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 77 में वर्णित अथवा अन्य सार्वजनिक भूमि स्थित है तथ्यो को छिपाकर प्रख्यापन कराया जा रहा है तो उस पर इस आदेश का कोई प्रभाव नहीं पडेगा। प्राधिकरण की महायोजना में निर्दिष्ट भू.उपयोग के विरूद्ध किया गया कोई भी निर्माण विधि विरूद्ध है ,जिसे नियामनुसार ध्वस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राधिकरण को प्राप्त है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की पूर्वानुमति के बिना अथवा प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना निर्दिष्ट भू.उपयोग के अनुसार किया गया निर्माण विकास कार्य भी अनुमन्य नही है। यह स्पष्ट किया जाता है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (संशोधन) अध्यादेश 2015 की धारा 80 के अन्तर्गत मात्र से भू-उपयोग परिवर्तित नही हो जाता है। संहिता की धारा 80 उप धारा (2) में दिये गये प्राविधान "यदि भूमिधर इस उपधारा के अधीन घोषणा के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तावित गैर कृषि सम्बन्धी गतिविधि प्रारम्भ करने में विफल रहता है तो उप धारा (2) के अधीन जोत या उसके आंशिक भाग की घोषणा व्यपगत हो जायेगी"उप धारा के अधीन घोषणा भू.उपयोग परिवर्तन की कोटि में नही होगी और उक्त भूमि निरन्तर कृषि भूमि के रूप में ही समझी जायेगी। उपरोक्त टिप्पणी को धारा 80 के प्रख्यापन सम्बन्धी आदेश के ओपरेटिव पार्ट में भी अंकित किया जायॅ। आदेश की प्रतिलिपि तहसीलदार गाजियाबाद को अभिलेखों अंकित किये जाने हेतु भेजी जायें एवं इस आदेश की एक प्रमाणित प्रति उपनिबन्धक गाजियाबाद को इण्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत निबंधन हेतु इस आशय से भेजी जायें कि अपना अनुलेख लिपिबद् करने के बाद कि यथावत निबन्धित (दैनिक रजिस्ट्रर) में कर दिया गया है। अपने हस्ताक्षर संहित इस न्यायालय को वापस भिजवायें। इस न्यायालय की पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही राजस्व अभिलेखागार में संचित होवें।

दिनांक-

उप जिलाधिकारी उ0प्र0 गाजियाबाद

(अरूण दीक्षित)
उप जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

Digitally Signed by:
ARUN DIXIT
उपजिलाधिकारी
दिनांक समय: 14-02-2025 05:14:23 PM

14/2/25
... की तैयारी का दिनांक 14/2/25
... देने की तिथि 14/2/25
... की तिथि 14-00

READER
S.D.O./S.D.M.
GHAZIABAD

जाँच कर्ता ....
तुलना कर्ता ...

उप जिलाधिकारी
गाजियाबाद

न्यायालय श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय गाजियाबाद

वाद स0 सन 2025

1– जाकिर पुत्र सलीमुददीन

2– जाहिद खान पुत्र श्री सलीमुददीन

3–साकिर पुत्र सलीमुददीन

निवासी महीउददीनपुर ढबारसी परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद ।

आधार न0 मोबाईल न0

––वादीगण

8051 P.T
24/11/25

बनाम

1–उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिलाधिकारी महोदय गाजियाबाद

2– भूमि प्रबन्धक समिति महीउददीनपुर ढबारसी परगना डासना द्वारा ग्राम प्रधान महीउददीनपुर ढबारसी, तहसील व जिला गाजियाबाद

––विपक्षीगण

No 1456/R.A. SDM 4528
To
Teh. Sadar
Pl. Report

उप जिलाधिकारी
गाजियाबाद

अ0 धारा 80 उ0प्र0 राजस्व संहिता

मौजा ग्राम महीउददीनपुर ढबारसी गाजियाबाद

3690/R

20/11/25

श्रीमान जी,

NT (Saurabh)

प्रार्थीगण वादीगण अत्यन्त विन्रमता पूर्वक निम्न निवेदन करता है

कि

1– यह कि प्रार्थीगण/वादीगण राजस्व ग्राम महीउददीनपुर ढबारसी परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद के फसली वर्ष 1428–1433

तहसीलदार
गाजियाबाद
23/11/25

के खाता नम्बर 00648 के खसरा नम्बर 181 रकबा 1.7870 है के सकमणीय भूमिधर मालिक व काबिज है

2–यह कि प्रार्थी /वादीगण की उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति आज तक प्रत्येक प्रकार के भार बन्धक से मुक्त है तथा प्रार्थी /वादीगण मालिक व काबिज चला आता है।

3–यह कि प्रार्थी/वादीगण की उपरोक्त सम्पत्ति को नगर निगम गाजियाबाद /सरकार के द्वारा डमपिग ग्राउण्ड कुडा कचेरे का निस्तारण हेतु लिया जा रहा है जो कि आबादी से काफी दूर स्थित है उपरोक्त के आस पास कोई आबादी या खाने पीने की फैक्टरी या किसी प्रकार की दुकान आदि नही है। उपरोक्त सम्पत्ति को सरकार हित मे किराये पर दिया जा रहा है जिसकारण उपरोक्त सम्पत्ति को कृषि उपयोग के स्थान पर उधोग(सोलिड वेस्ट मैनेज्मेन्ट) मे प्रयोग की जानी है।।जिस कारण उपरोक्त सम्पत्ति को अकृषि योग्य धोषित किया जाना अति आवश्यक है।

4–यह कि प्रतिवादीगणो को उपरोक्त सम्पत्ति से कोई किसी प्रकार का सम्बन्ध नही है परन्तु प्रतिवादी स0 1 उ0 प्र0 सरकार होने व प्रतिवादी स0 2 भूमि प्रबन्धक समिति होने के कारण फ़ोरमल पक्षकार वाद बनाया गया है जिसका फोरमल पक्षकार वाद बनाया जाना कानून आवश्यक है।

5–यह कि प्रार्थी/ वादीगण की उपरोक्त सम्पत्ति को अकृषि योग्य धोषित किया जाना अति आवश्यक है उपरोक्त सम्पत्ति कृषि योग्य नही रही है जिसकारण उपरोक्त कृषि भूमि को उधोग(सोलिड वेस्ट मैनेज्मेन्ट) मे धोषित किया जाना अति आवश्यक है ।

6–यह कि वादी विवश होकर माननीय न्यायालय के समक्ष वाद योजित कर रहा है अन्य कोई चारा किसी प्रकार का नही रहा है ।

अत श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण/ वादीगण राजस्व ग्राम महीउददीनपुर ढबारसी परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद के फसली वर्ष 1428–1433 के खाता नम्बर 00648 के खसरा नम्बर 181 रकबा 1.7870 है को उधोग(सोलिड वेस्ट इन्वेस्टमेन्ट) मेयोग्य घोषित किये जाने के आदेश पारित करने की कृपा करे।

दिनांक
20.01.2025

प्रार्थी / वादीगण

द्वारा

एडवोकेट गाजियाबाद

Pradeep Gupta Advocate
Tehsil Compound Ghaziabad (U.P.)

न्यायालय श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय गाजियाबाद

वाद स0 सन 2025

जाकिर आदि बनाम उ.0 प्र0 सरकार आदि

अ0 धारा 80उ0 प्र0 राजस्व संहिता

मौजा महीउददीनपुर ढबारसी गाजियाबाद

शपथ पत्र

शपथ पत्र ओर से जाकिर पुत्र सलीमुददीन निवासी महीउददीनपुर ढबारसी परगना डासना जिला गाजियाबाद निम्न प्रकार है

1—यह कि मै शपथ से कहता हूँ कि मेरा उपरोक्त नाम व पता सही एवं सत्य है तथा बवजह होने मै शपथ कर्ता इस शपथ पत्र की सभी कण्डिकाओ से भली भाति परिचित हूँ

2—यह कि मै शपथ से कहता हूँ किइस शपथ पत्र के साथ सलग्न वाद के समस्त कथन को इस शपथ पत्र का भाग माना जाये पुनः पृरनावृति नही की गयी है।

मै शपथकर्ता सत्यापित करता हूँ कि

इस शपथ पत्र की सभी कण्डिकाओ से

भली भाति परिचित हूँ

प्र0 स्थान गाजियाबाद

दिनांक 20-01-2025

शपथकर्ता

Sl. No. ... Date ...
Shri ...
S/o ...
R/o ...
Identified By ...

ATTESTED
DINESH KUMARI
Advocate & Notary
Ghaziabad (U.P.) India

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP[illegible]W
Certificate Issued Date	:	21-Oct-2024 01:[illegible] PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14009304/ GHAZIABAD SADAR/ UP-GZB
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14009304[illegible]W
Purchased by	:	SHUBHAM GOEL PROP SHREE JI COAL COMPANY
Description of Document	:	Article 35 Lease
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	MOHAMMD ZAKIR JAHID KHAN ZAKIR
Second Party	:	SHUBHAM GOEL PROP SHREE JI COAL COMPANY
Stamp Duty Paid By	:	SHUBHAM GOEL PROP SHREE JI COAL COMPANY
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

Mr. VIKAS [illegible]
ACC [illegible]
Licence No. [illegible]
Tehsil Ghaziabad
Sign..........

NOTARY GOVT. OF INDIA

Please write or type below this line

IN-UP[illegible]0270823272W

NOTARY Naresh Chand Pal Advocate Ghaziabad Regn. No. [illegible] GOVT. OF INDIA

For SWASTIK CARRIERS

Proprietor

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

किरायानामा

मोहम्मद जाकिर, जाहिद खान, साकिर पुत्र श्री सलीमुद्दीन मियासी- ग्राम- मोहिउद्दीनपुर ठयारसी ,गाजियाबाद उत्तर प्रदेश ।

.....प्रथमपक्ष (संपत्ति मालिक मालिक)

शुभम गोयल पुत्र श्री अशोक कुमार गोयल प्रोपराईटर मैसर्स श्री जी फौल कंपनी पता- 169, पंचवटी कोलोनी, नियर जी रोड गाजियाबाद उत्तर प्रदेश

......द्वितीय पक्ष (किरायेदार)

विदित हो कि मुझ प्रथम पक्ष का एक किता स्थित खसरा न 181, ग्राम-ठयारसी ,गाजियाबाद उत्तर प्रदेश । रकबा 17870 वर्ग मीटर है जिसका मैं प्रथम पक्ष पूर्ण रूप से मालिक व काबिज हूँ। मुझ प्रथम पक्ष ने अपना उपरोक्त जमीन द्वितीय पक्ष उपरोक्त को अग्रिम 5 वर्ष तक के लिऐ किराये पर दिया ।

1. यह कि किरायानामा दिनांक 21.10.2024 से प्रारम्भ होकर 5 वर्ष तक वैध रहेगा ।
2. यह कि उपरोक्त भवन/प्लाट का किराया रु0 45,000/- प्रति वर्ष तय पाया गया है ।
3. यह कि द्वितीय पक्ष उपरोक्त सम्पत्ति / भवन में कोई तोड फोड़ नहीं करेगा और ना ही शिकमी किरायेदार आबाद करेगा तथा जिस स्थिति में भवन किराये पर दिया गया है उसी हालत में वापिस प्रथम पक्ष को करेगा ।
4. यह कि प्रथम पक्ष को यदि उक्त भवन समय से पूर्व खाली कराना है या द्वितीय पक्ष को भी करना है तो दोनो पक्ष एक दूसरे को एक माह पूर्व लिखित में नोटिस देगें ।
5. यह कि प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के बीच मधुर सम्बन्ध रहते हैं तो इस किरायेनामे की अवधि समाप्त होने पर आपसी सहमति से 5% प्रतिशत की वृद्धि के साथ बढ़ाया जायेगा ।
6. यदि द्वितीय पक्ष अपनी सुविधा हेतु शेड इत्यादि का निर्माण करता है तो खाली करते समय द्वितीय पक्ष उसको अपने साथ ले जा सकता है । इससे प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।

अतः यह किरायानामा लिख दिया गया है ताकि वक्त जरूरत पर काम आये ।

दिनांक-21/10/2024

(हस्ताक्षर संपति मालिक) ATTESTED (हस्ताक्षर किरायेदार)

JAHID Zakir शाकिर 21/10/24

प्रथम पक्ष गवाह हस्ताक्षरः-

Talib, Mohsin

अनुज

Mehar Chand Paul
Notary Advocate,
Regn. No-13416

द्वितीय पक्ष गवाह हस्ताक्षरः-

For SWASTIK CARRIERS
Proprietor

63

V Zakir

इन्तखाब खसरा ग्राम मोहीउद्दीनपुर डबारसी परगना डासना तहसील गाजियाबाद जिला गाजियाबाद बाबत साल 1429 फ०

खेत की संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर	खतौनी खाते की संख्या	खतौनी खाते के वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम	खतौनी के भाग 2 के वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम यदि कोई हो	सिंचाई की रीति और कुंए	कृषि (फसलों वाली भूमि) का क्षेत्रफल – खरीफ – फसल का भाग	खरीफ – सींचा हुआ	खरीफ – अन सींचा	रबी – फसल का भाग	रबी – सींचा हुआ	रबी – अन सींचा	जायद – फसल का भाग	जायद – सींचा हुआ	जायद – अन सींचा	दो फसली क्षेत्रफल – सींचा हुआ	दो फसली क्षेत्रफल – अन सींचा	मिलान खसरे के स्तम्भ के अनुसार अकृषित भूमि का ब्यौरा – भूमि की श्रेणी	मिलान खसरे के स्तम्भ के अनुसार अकृषित भूमि का ब्यौरा – क्षेत्रफल	प्रत्येक खेत के पूरे बढ़े हुए वृक्षों की संख्या और किस्म	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
181	1.787	648	सलीमुद्दीन	X	—	[illegible]	1.000	—	गेहूँ	0.780	—									
					—	[illegible]	0.780													

सत्य प्रति लिपि।
फीस नियम अनुसार वसूल पाई

[signature] 20-01-2025

लेखपाल
तहसील गाजियाबाद
जिला गाजियाबाद

http://upbhulekh.gov.in/bhulekh_login_rtk/app/tehsil/report_user/ROR_Tehsil.j

उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 119750202501263

ग्राम क्रमांक : 119750 ग्राम का नाम (परगना) : महीउद्दीनपुर ढबारसी(डासना) तहसील : गाजियाबाद जनपद : गाजियाबाद
फसली वर्ष : 1428-1433 (01 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2026) भाग : 1 (1) खाता संख्या : 00648

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
181	1) जाकिर/सलीमुददीन /महीउददीनपुर ढबारसी 2) जाहिद खान/सलीमुददीन /महीउददीनपुर ढबारसी 3) साकिर/सलीमुददीन /महीउददीनपुर ढबारसी	1) ऑनलाइन उत्तराधिकार /20211114000739000027 /12-01-2021 /वरासत	पू.1386	181(119750018100012)	1.7870	1) - 2) - 3) -	1) 0.5956 2) 0.5956 3) 0.5958	74.00
							1.7870	

कुल गाटे- एक कुल क्षेत्रफल- एक दशमलव सात आठ सात शून्य (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - सात चार दशमलव शून्य शून्य रुपये
कुल अंश का क्षेत्रफल - एक दशमलव सात आठ सात शून्य (हेक्टेयर)

18-Jan-25 12:58 PM

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)
1) ऑनलाइन उत्तराधिकार /202111140007390000027 /12-01-2021 /वरासत /CHANDRA PAL SINGH /13-03-2023	1.1) सलीमुद्दीन/नसरत /ग्रामवासी (शेष क्षेत्रफल : 0.0000)	181(1197500181000012)	1.1) 1.7870	1.1) जाहिद खान/सलीमुददीन /महीउददीनपुर ढबारसी 1.2) जाकिर/सलीमुददीन /महीउददीनपुर ढबारसी 1.3) साकिर/सलीमुददीन /महीउददीनपुर ढबारसी	181(1197500181000012)	1.1) 0.5956 1.2) 0.5956 1.3) 0.5958

(17)भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18)बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1)बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19)अभ्युक्ति :

1) 1428-फ भूमि बंधक पत्र साधन सहकारी समिति लि० करीमनगर कटियार सम्बद्ध जिला सहकारी बैंक लि० पिलखुवा हापुड द्वारा जाहिद खान पुत्र सलीमुद्दीन ने दिनांक 02.03.21 को अपनी भूमि खाता न० 648 के खसरा न० 181, 420 को बंधक रख अंकन 3,00,000/- ऋण लिया । ह.अ.र.का. 02.03.2021 । (डिजिटल हस्ताक्षर : SHWETA JINDAL/09-03-2021)

2) 1428-फ भूमि बंधक पत्र साधन सहकारी समिति लि० करीमनगर कटियार रजापुर सम्बद्ध जिला सहकारी बैंक लि० शाखा पिलखुवा हापुड द्वारा जाकिर पुत्र सलीमुददीन ने दिनांक 09.07.2021 को अपनी भूमि खाता न० 107 के खसरा न० 419मि व खाता न० 648 के खसरा न० 181, 420 को बंधक रख अंकन 3,00,000/- ऋण लिया । ह.अ.र.का. 10.07.2021 । (डिजिटल हस्ताक्षर : OMPAL SINGH/14-07-2021)

3) १४२८-फ भूमि बन्धक पत्र सिडिकेट बैंक शाखा मसूरी द्वारा सलीमुद्दीन उर्फ सलमू व जाकिर पुत्रगण नूसरत व सलमू ने दिनांक 26.9.16 को अपनी भूमि खाता न. 653 के ख.न. 181, 420 को बन्धक रख अकन 200000/- रू ऋण लिया । ह.अ.र.का. 03.12.16 । (डिजिटल हस्ताक्षर : SHWETA JINDAL/28-12-2020)

4) १४२४-फ भूमि बन्धक पत्र सिंडिकेट बैंक शाखा मसूरी द्वारा सलीमुद्दीन उर्फ सलीम पुत्रगण नसरत ने दिनांक 26.9.16 को अपनी भूमि खाता नं. 638 के ख.नं. 181 को बन्धक रख अंकन 300000/- रु ऋण लिया । ह.अ.र.का. 03.12.16 । (डिजिटल हस्ताक्षर : SHWETA JINDAL/28-12-2020)		
पूर्व आदेशों का विवरण 1) 1428-फ आदेश श्रीमान राजस्व निरीक्षक डासना वाद सं० 20211114000739000027 दिनांक 12.01.2021 को आदेश हुआ कि खाता न० 648 पर मृतक सलीमुद्दीन पुत्र नसरत निवासी महीउद्दीनपुर ढबारसी के स्थान पर जाहिद खान व जाकिर व साकिर पुत्रगण सलीमुद्दीन निवासी महीउद्दीनपुर ढबारसी का नाम बतौर वारिस दर्ज होवे। ह.अ.र.का.।		
Data Digitally Signed by: CHANDRA PAL SINGH (REVENUE I NSPECTER) दिनांक/समय/स्थान: 18-01-2025 12:58:18 तहसील : गाजियाबाद ❶ यह उद्दरण खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।	मुद्रित कर्ता : ROOPCHAND तहसील : गाजियाबाद मुद्रित दिनांक एवं समय: 18-01-2025 12:58:18 ❶ Not Applicable For Online Prints ❶ उपरोक्त उद्दरण खतौनी का वेरीफिकेशन https://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है।	

[illegible] स्थान क्र 471 [illegible] [illegible] 2130

[illegible] [illegible] [illegible] क्र [8]

(नियम ९.९)

[illegible]

[illegible]

क्र.	क्षेत्रफल	पुराना संख्या	क्षेत्रफल	नयी खसरा प्रविष्टि संख्या	मिट्टी, ... की भूमि ... (Soil Class)	[illegible]	[illegible]
	० ११२	१६३	० ११२	३२९	सामान्य [illegible]	[illegible]	
	० ११२	१६४	० ११२	४४	सेवईया [illegible]	[illegible]	
	० ११९	१६५	० ११९	५०	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	१६६	० ३११	४८०			[illegible]
	० ११९	१६७	० ११३	२२८	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		२०६	० ११३		[illegible]	[illegible]	
	० ११२	२०७/१	० ११४	२२८	[illegible]		
		२०८/१	० ११३		[illegible]		
	० ११	२०९	० ३११	२२८	[illegible]		
	० ११	२१०	० ३११	४४८	[illegible]		
	० ११४	२११	० ११४	[illegible]	[illegible]		
	० १	२१२	० १	४४०	[illegible]	[illegible]	
	० ११३	२१३	० ११२	३२८	[illegible]		
	० ११२	२१४	० ११२	४६०			
		२१५	० ३११				
		२१६	० ११४				
	० ११६	२१६	० ११४	३२८	सामान्य [illegible]	[illegible]	
		२१७	० ११४		[illegible]	[illegible]	
		२१८	० ११३		[illegible]	[illegible]	
		२१९	० ११		[illegible]	[illegible]	
	४४११२	ओळीत		ओळीत	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible] ४४११२.४

[illegible]

[illegible] ४६

(नियम ४१)

([illegible] (पर कृ[illegible])

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], जिला [illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	जिसके अनुसार [illegible] (Soil Class)	[illegible] साधन	विशेष विवरण
[illegible]	४	५	६	७	८
१८[illegible] मि॰	३१-२८		सिंचाई दोमट	[illegible]	
१०३	१।१२		सिंचाई दोमट आबी	[illegible]	
१०४	१।११		सिंचाई दोमट [illegible]	[illegible]	
[illegible]	३।	४६०	–	–	ऊसर
[illegible] मि॰	।।-१४		–	–	
[illegible] मि॰	।।२-१०		सिंचाई दोमट	–	
८४	।।४		सिंचाई दोमट	–	
८५	१।।४	२२१	सिंचाई दोमट आबी	[illegible] कूप	
८६	३	४६०	–	–	ऊसर
८८ मि॰	२।।-१०	८२	सिंचाई दोमट आबी	[illegible] कूप	३३
८९	२।।१		सिंचाई [illegible] आबी	[illegible] कूप	
९०	१।२		सिंचाई दोमट आबी	[illegible] कूप	
१००मि॰	३-२-१२		सिंचाई दोमट	[illegible]	
१०१ मि॰	३१-१२		सिंचाई दोमट आबी	कूप	
[illegible] मि॰	३४		सिंचाई [illegible] आबी	कूप	
८८ मि॰	।।-१०	१२५	सिंचाई दोमट आबी	[illegible] कूप	१२८
१०१ मि॰	३		सिंचाई दोमट आबी	कूप	
१०८ मि॰	।।-६		सिंचाई दोमट आबी	कूप	
२०८ मि॰	३२			[illegible]	
१०[illegible] मि॰	१।।-१२		सिंचाई [illegible] आबी	कूप	
[illegible]	जोतसे	३।।-१८	[illegible]	जो[illegible]	
	१२।।[illegible]	३।।२५	नलकूप [illegible]	सत्यप्रतिलिपि	

स्टाम्प रुपये............
प्रार्थनापत्र देने की तिथि 18/1/45 नकल कर्ता [illegible] 31/12/[illegible]
नकल तैयारी की दिनांक 20/1/45 [illegible] राजस्व अभिलेखागार (रा०/अभि०)
[illegible] की दिनांक 20/1/45 तुलना कर्ता [illegible] कलेक्ट्रेट गाजियाबाद

राजस्व अभिलेखागार [illegible]

[illegible]	खातेदार का नाम, पिता का नाम तथा निवास स्थान	[illegible]	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	[illegible]	[illegible]
	[illegible] ८।७-४५ ३९६					
१	२	३	४	५		
३६४	शौकत अली पुत्र [illegible]		८८४	९।।१-१६	८.४८	
	अली ग्राम नाती					
३६५	सलीमुद्दीन व अलाउद्दीन पुत्र		१६८	।।।२		३-४५
	गण नसरत ग्राम नाती		३६८क	।।।४		
			२८०क	।।४		
			३	९।।।	४.८५	
३६६	~~सलीम~~ सलीमुद्दीन पुत्र नसरत ग्राम नाती		९८९	७।।१-८		
			४२०	२।।१-१४		
			२	७।।३-१	२५.८२	

स्टाम्प रुपये......10.16

प्रार्थनापत्र देने की दिनांक 12/1/25

नकल तैयारी की दिनांक 20/1/25

नकल देने की दिनांक 20/1/25

नकल कर्ता

तुलना कर्ता

सत्यप्रतिलिपि

राजस्व अभिलेखपाल (रा०/ [illegible])

कलेक्ट्रेट गाजियाबाद

पी० एस० यू० पी०—यू० पी० ८२ पटवारी—[illegible]—१८०४—१२,००,००० [illegible]

नम्बर खसरा सं० ५७१ [illegible] २४ [illegible]

नम्बर खतौनी (१३५९) [illegible] ५२४

ग्राम- मुहिउद्दीनपुर [illegible] परगना [illegible] तहसील व जिला [illegible]

[illegible]

स्टाम्प रुपये 10 Rs
प्रार्थनापत्र देने की दिनांक 18/1/15
नकल तैयारी की दिनांक 20/1/15
नकल देने की दिनांक 20/1/15

नकल कर्ता

मुहाफिज़खाना [illegible]

कलेक्टर

सत्यप्रतिलिपि

[illegible] (प्रशा०)

नक्ल सवाल नं० 471 राज नं० दाखिला 373.

नक्ल खतौनी (1389) फ० जाता नं० 520

ग्राम - मदीउद्दीनपुर अथवाली परग० डलमऊ

[illegible]	38	112	[illegible]	तह० व० जिला न्यायालय	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	48	159	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	44	21	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

सत्यप्रतिलिपि

शुल्क रुपये 10 रु०

प्रार्थनापत्र देने की दिनांक 18/1/15

नकल तयारी की दिनांक 20/1/15

नकल देने की दिनांक 20/01/15

नकल कर्ता

तुलना कर्ता

प्रतिलिपिकार (रा०/कलेक्ट्रेट)

कलेक्ट्रेट रायबरेली

नकल सवाल नं० ५७१ ... ...

नकल खतौनी (१३८९) फ० ... नं०- ८२६

ग्राम- मुहीउद्दीनपुर ... परगना- डासना, तह० व जिला- गाजियाबाद

[illegible]

स्टाम्प रुपये......10/-
प्रार्थनापत्र देने की दिनांक 18/1/25
नकल तैयारी की दिनांक 20/1/25
नकल देने की दिनांक 20/1/25

नकल कर्ता

तुलना कर्ता

सत्यप्रतिलिपि

राजस्व अभिलेखागार (रा०...)
कलेक्टरेट गाजियाबाद

नकल सवाल नं. 471 ता० 20 डायाघात अनु.
नकल खतौनी (1359) फ० खाता नं० 831

ग्राम महीउद्दीनपुर ठ्वारसी परग० डालना तह० व जिला ......

[illegible]

सत्यप्रतिलिपि

प्रशासनिक अधिकारी (न०) ......

स्टाम्प रुपये 10/-
प्रार्थनापत्र देने की तिथि 18/11/25
नकल तैयार की तिथि 20/11/25
नकल देने की तिथि 20/11/25

नकल कर्ता

तुलना कर्ता

खतियान संख्या नं- 471 खाता नं [illegible]

[illegible] (1339) [illegible] 540

ग्राम [illegible] [illegible] [illegible] जिला [illegible]

सत्यप्रतिलिपि

स्टाम्प रुपये...... 10 [illegible]

[illegible] देने की दिनांक [illegible]

नकल [illegible] की दिनांक 20 [illegible]

[illegible] की दिनांक 20 [illegible] [illegible] तुलना कर्ता

नकल कर्ता

आंशिक [illegible]
ग्राम- महीउद्दीनपुर दवारखी
प०- डासना
तह०- गाजियाबाद
जिला- गाजियाबाद

अ०न० 1324 [illegible]
अ०न० [illegible]
[illegible]

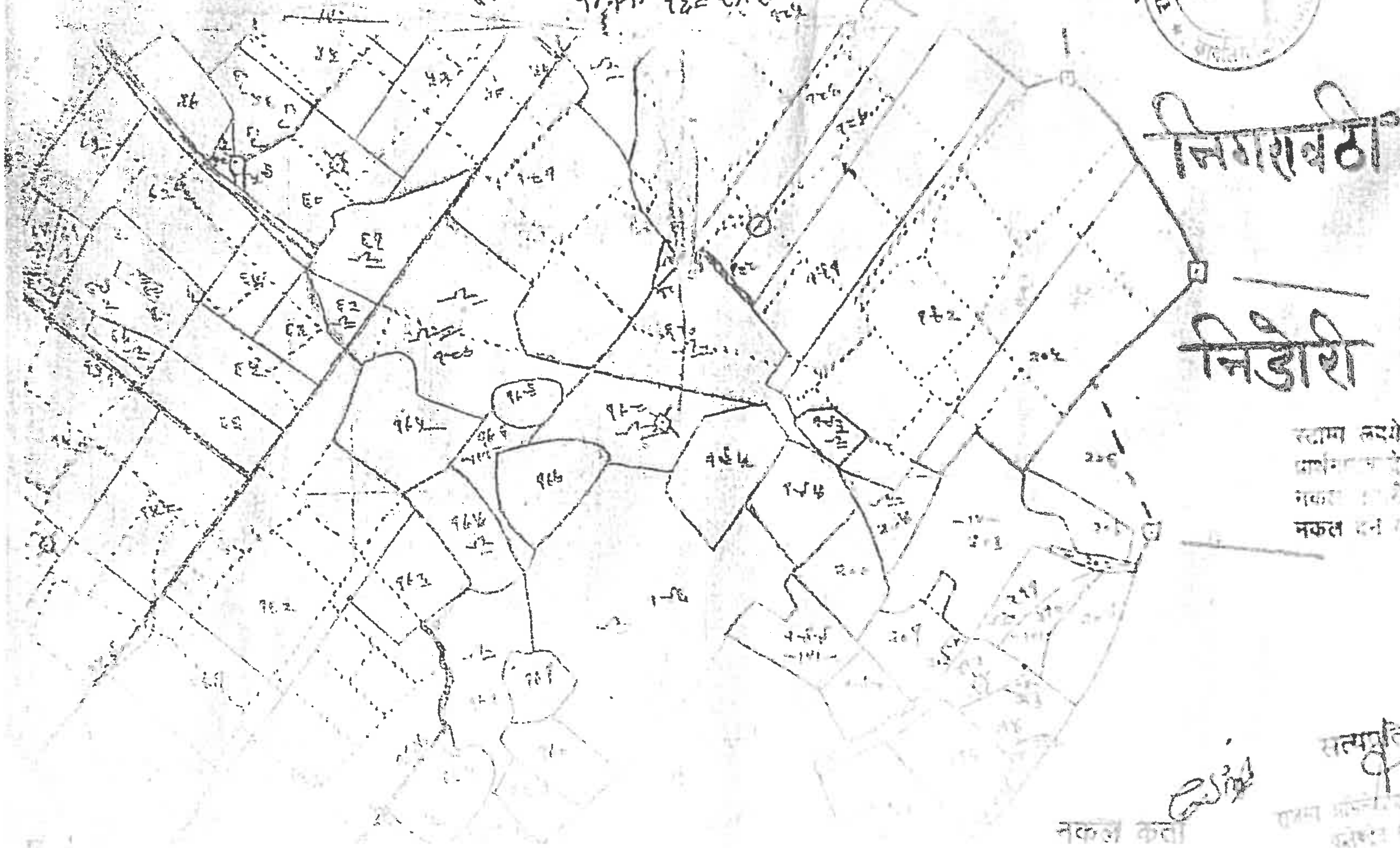

निगरावठी

निडौरी

स्टाम्प रुपये 10/-
प्रार्थना पत्र देने की दिनांक [illegible]
नकल तैयार होने की दिनांक [illegible]
नकल देने की दिनांक 28/01/25

सत्यप्रतिलिपि

नकल कर्ता

मिलान कर्ता

Annexure-3

कार्यालय अपर जिलाधिकारी (नगर) गाजियाबाद।

पत्र संख्याः – डी०जी०

दिनांकः 28/03/2026

क्षेत्रीय अधिकारी
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
गाजियाबाद।

विषयः–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 500/2025 आसमा बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 09.01.2026 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 500/2025 आसमा बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 09.01.2026 के मुख्य अंश निम्नवत हैः–

..........1. A letter has been circulated by the counsel for the State of UP seeking adjournment to enable him to place on record the status on behalf of the Respondents No. 2 and 3. Prayer is allowed...........

3. List on 08.04.2026............

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.01.2026 के अनुपालन में स्थलीय जांच कर आख्या उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे कि जिलाधिकारी महोदय गाजियाबाद का रिस्पोंस तैयार कर स–समय दाखिल किया जा सकें।

(विकास कश्यप)
अपर जिलाधिकारी (नगर)/
नोडल एन0जी0टी0
गाजियाबाद।

प्रतिलिपिः–
जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी (नगर)/
नोडल एन0जी0टी0
गाजियाबाद।

Annexure-4

Inspection of site in question in compliance to Hon'ble National Green Tribunal New Delhi Order dated 09.01.2026 in O.A No. 500/2025 in the matter of Aasma Vs State of Uttar Pradesh &Ors

1.Background:-

The Applicant has filed Original Application, against the dumping of solid waste on the agricultural field in village Dabarasi, Ghaziabad, Uttar Pradesh. The above referred matter was listed on 09.01.2026 before Hon'ble National Green Tribunal for hearing. The relevant para of the said order is extracted here under.

..........1. A letter has been circulated by the counsel for the State of UP seeking adjournment to enable him to place on record the status on behalf of the Respondents No. 2 and 3. Prayer is allowed...........

3. List on 08.04.2026............

2.Compliance :

In compliance to the order dated 09.01.2026 and notice issued by Hon'ble NGT on 17.10.2025 inspection of site in question was carried out by under signatory on 30.03.2026 in the presence of Shri Rakesh Mishra Supervisor and Shri Sudeep Pal ETP Operator of waste processing facility. The findings based on inspection is summarized as below: -

A. General information

1.	Name of facility	M/s Shree ji Coal Company
2.	Location	Khasra no. 181, village Muhiddinpur, Dabarasi, Ghaziabad (U.P)

3.	Contact Person	Shri Shubham Goyal, Propritor
4.	Contact detail	8527130645
5.	Processing Capacity (MT/D)	900
6.	Capacity utilization (actual quantity of waste received)	900 MT/d
7.	Area of Project site	Approximate 1.787 hectares
8.	Scope of work	Processing & disposal of MSW
9.	Transportation of MSW	
	a. Exclusively by the facility (MT/d) b. By Municipal Corporation	- 1200 MT/d
10.	Gravity/Size Screening a. No of Trammels b. No of Vibratory Screen (Air density separator) c. No of Loader (Poke lane) d. No of Tractors e. JCB f. Dumper	 04 NOs Capacity-50TPH each 01 NOs Capacity 10 NOs 01 NOs 01 NOs 03 NOs
11.	Composting a. Separate Composting platform b. Compost cycle (period) c. Compost quality checked (with reference to FCO) d. Compost quality report e. Quantity generated f. Quantity sold/lifted g. Details of users	 Yes 30 to 45 days No NA 100 TPD Local farmers for land filling (Copy of agreement is annexed as **Annexure-1**)
12.	Refused Derived Fuel (RDF) a. Quantity of RDF generated b. RDF quantity used/sold	 400 TPD RDF is being sent to paper mill units situated in district Muzaffar nagar/Meerut/Ghaziabad/ Shamli for co-processing. These units are having valid CTO from UPPCB. Copies of CTO are annexed as **Annexure-2**

	c. Details of RDF users (If sold)	Copy of MoU is annexed as **Annexure-3**
13.	Inert a. Quantity of inert generated b. Disposal	400 TPD Presently is being used for filling in low-lying area for internal/external road construction. As per information received from waste processing plant on dated 31-12-2025, inert will be disposed of by Nagar Nigam, Ghaziabad in sanitary land fill of Greater Noida Authority. Copy of Agreement is annexed as **Annexure-4**
14.	Leachate Treatment a. Capacity b. Unit Details c. Status of operation d. Disposal of Leachate	Leachate Treatment plant of 50 KLD capacity followed by Primary Treatment, Secondary Treatment, Tertiary Treatment comprising Oil & Grease Separator. Equalization tank – 1&2, Primary tube settler, UASB tank, Secondary tube settler, MBBR-1&2, MGF, ACF Operational Treated leachate is re-circulated to windrows after mixing with bio culture and also used in green area for irrigation purposes.
15.	Sanitary land fill facility	No, Presently inert is being used for filling in low-lying area for internal/external road construction.
16.	Status of consent and authorization a. Consent to Establish (CTE) b. Consent to operate c. MSW Authorization	Issued on 05.04.2025 (annexed as **Annexure-5**.) Consolidated Consent to Operate and Authorisation (CCA) Issued on 13.11.2025 annexed as **Annexure-6**.) Applied, which is under process

B. Observation:

1. The City Health Officer (Nagar Swasthya Adhikari) Ghaziabad Nagar Nigam entered an agreement with M/s Shree ji Coal Company and Swastik Carriers Ghaziabad after tendering process for handling and disposal of Municipal Solid Waste (MSW) from the jurisdiction of Ghaziabad Nagar Nigam. Collection and transportation of the waste is being carried out by Ghaziabad Nagar Nigam. Copy of agreement is annexed as **Annexure-7**.
2. The MSW processing plant is located at Khasra no. 181, village Muhiddinpur, Dabarasi, Ghaziabad (U.P) having processing capacity of 900 MT/d of solid waste. The Site is located beyond approximately 500 Meter from residential area, schools, temples, etc. It is spread over an area of 1.787 hectares and premises is surrounded by boundary wall. The Geo Co-ordinate of the MSW site is latitude 28.723948 and longitude 77.583072
3. The MSW processing facility is established in the month of may 2025.
4. The facility M/s Shree ji Coal Company has taken the land on rent on 21.10.2024 for a period of **05 years** owned by Mohd Jakir, Shri Jahid Khan and Shri Sakir. The land has been converted by the court of Sub Divisional Officer Ghaziabad Under Section 80 Of Uttar Pradesh Revenue Code-2006. on dated 14.02.2025 Copy of rent agreement and land conversation is annexed as **Annexure- 8 & 9**.

5. The waste processing facility starts with collection of waste at Tipping floor. Waste is mechanically lifted from Tipping floor and subject to Screening/Pre- sorting through Trammels (03 NOs with capacity 50 TPH each and Air Density separator)
6. The > 35 mm size waste identified as RDF is being sent to paper mill units for co-processing.
7. During the visit gap in treatment capacity as generation is observed. It is informed by the representative of the facility, that the increasing capacity of processing plant to treat all in coming fresh MSW is under consideration. It was also informed that in this regard 13 Bighas of land have been added which has now becomes approximately 3.0 hectares and conversion of land is under process.
8. At present there is no sanitary land fill site in Ghaziabad and as per agreement dated 28.11.2024 inert generated from processing will be disposed of by Ghaziabad Nagar Nigam in Sanitary land fill of Greater Noida Industrial Development Authority (GNIDA).
9. The waste processing plant has leachate collection and treatment system followed by Primary Treatment, Secondary Treatment, Tertiary Treatment which was found operational. During the visit sample of leachate after treatment was collected and deposited to the Regional Office Laboratory Ghaziabad for analysis. As per analysis report parameters of treated sample are within prescribed norms. Copy of analysis report is attached as **Annexure-10**.

10.During the visit ground water sample was collected from Borewell installed in the plant and deposited to the Regional Office Laboratory Ghaziabad for analysis. As per analysis report no contamination of ground water is observed. Copy of analysis report is attached as **Annexure-11.**

11.The area was visited during the inspection and no leachate was found flowing in to the nearby agricultural field.

12.As per unit representative the facility receives 900-1200 MT/Day of MSW and the estimated quantity of total MSW lying on site is to be approximately 1,00,000 MT for processing.

3.Recommendation:-

1. All units of the processing plant should be properly operated. Capacity of solid waste processing plant should be increased considering gap in solid waste generation after obtaining necessary clearance from competent authority.
2. The unit shall ensure the compliance of solid waste management Rules 2016, C&D Rules 2016 and particularly disposal of different fraction of solid waste such as inert, RDF, compost, recyclable material, C&D waste etc.
3. Photographs taken during visit are given below:

Latitude: 28.724437
Longitude: 77.582626
Elevation: 233.47±8.86 m
Accuracy: 5.833 m
Time: 03-30-2026 16:54
Note: Shri ji coal
Powered by NoteCam

Latitude: 28.724458
Longitude: 77.582729
Elevation: 233.47±7.56 m
Accuracy: 6.911 m
Time: 03-30-2026 16:49
Note: Shri ji coal

The inspection report is being submitted for kind perusal and necessary action.

(Sandesh Kumar)
AEE